2025:CGHC:47394–DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 1907/2019

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनाँकः 04.08.2025

निर्णय पारित करने का दिनाँकः 16.09.2025

हरदयाल पिता स्व. रामकेवल उर्फ केवला खरवार, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी ग्राम चंद्रा, थाना–चलगली, जिला: बलरामपुर–रामानुजगंज, छत्तीसगढ़।

... अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः थाना– चलगली, जिला– बलरामपुर–रामानुजगंज, छत्तीसगढ़।

... प्रत्यर्थी/राज्य

अपीलार्थी की ओर से : श्री अभिषेक सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सह सुश्री अदिति सिंघवी, अधिवक्ता विधिक सेवा के माध्यम से उपस्थित।

राज्य की ओर से : श्री अजय पाण्डेय, शासकीय अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे,

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद,

सीएवी निर्णय

द्वारा, रजनी दुबे, **न्यायाधीश**

1. यह दाण्डिक अपील, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, जिला– बलरामपुर, स्थान– रामानुजगंज (छत्तीसगढ़) द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 60/2015 में दिनांक 18.07.2018 को पारित आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा और जिसके अधीन, अपीलार्थी को अपराध कारित करने हेतु दोषसिद्ध किया गया है और नीचे वर्णित विवरण के अनुसार दण्डित किया गया है:–

दोषसिद्धि	**दण्डादेश**
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन(दो बार)	अजीवन कठोर कारावास एवं 2000/– रुपए का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम पर, तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास ।

2. अभियोजन का प्रकरण, जैसा कि आक्षेपित निर्णय और प्रकरण के अभिलेख से सामने आया है, यह है कि सूचनाकर्ता/शिकायतकर्ता रंजीत खैरवार (अ.सा.–1) ने थाना–चलगली में उपस्थित होकर सूचना दी कि भोला नाथ खैरवार के दत्तक पुत्र रामप्रताप (अ.सा.–9) का विवाह मृतक भोला नाथ खैरवार के घर पर हुआ था और वहां एक सामाजिक भोज का आयोजन था, जिसमें जगधारी, राजू, भोला और फूलमतिया, मनमती आदि हरदयाल के घर के आंगन में भोजन पकाने के बारे में बात कर रहे थे। हरदयाल ने शराब के नशे में अपनी बुआ फूलमतिया और फूफा भोला से पूछा कि उन्होंने उसे बताए बिना उसके भाई रामप्रसाद (अ.सा.–9) का विवाह क्यों किया और अचानक वह इतना आगबबूला हो गया कि उसने तलवार निकाली और भोला व फूलमतिया पर हमला कर दिया और उनके सिर धड़ से अलग कर दिए। शिकायतकर्ता रंजीत खैरवार (अ.सा.–1) द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना के आधार पर, थाना–चलगली में मर्ग क्रमांक 13/2015 (प्रदर्श पी/1) और मर्ग क्रमांक 14/2015 (प्रदर्श पी/17) दर्ज किए गए और उसके बाद अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 34/2015 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन थाना–चलगली में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/2)पंजीबद्ध की गई तथा घटनास्थल का नजरी नक्शा (प्रदर्श पी/3) तैयार किया गया। विवेचना के दौरान, मृतक भोला और मृतिका फूलमतिया के शव के पंचनामा के लिए साक्षियों को नोटिस (प्रदर्श पी/6 और पी/7) जारी किए गए एवं तत्पश्चात मृतकों के शव का पंचनामा (प्रदर्श पी/8 और पी/9) तैयार किया गया। इसके अतिरिक्त, मृतक भोला और फूलमतिया के शव को शवपरीक्षण हेतु आवेदन पत्र (प्रदर्श पी/14–"ए" और पी/15–"ए" तैयार किए गए और शवों को वपरीक्षण हेतु सी.एच.सी. बलरामपुर भेजा गया। जब्ती पत्रक (प्र.पी/10) के अनुसार घटनास्थल से रक्तरंजित एवं सादी मिट्टी जब्त की गई और साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए। अपीलार्थी को अभिरक्षा में लिया गया और साक्षियों के समक्ष उसका मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी/11) दर्ज किया गया। अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा हथियार (लोहे की तलवार) के ठिकाने के बारे में बताए जाने पर पुलिस ने उसे नाले से जब्त किया जिसे अभियुक्त ने स्वयं निकाला था। घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहने गए कपड़ों को जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी/12) के अनुसार जब्त किया गया। अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध करते पाया गया और इसलिए उसे गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी/13) के अनुसार विधिवत गिरफ्तार किया गया और इसकी सूचना उसके परिवार के सदस्यों को (प्रदर्श पी/18) के माध्यम से दी गई। आरक्षक 658 राजेंद्र लकड़ा द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर घटना के समय मृतक भोला और फूलमतिया द्वारा पहने गए कपड़ों को जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी/19) के अनुसार दो सीलबंद पैकेटों में जब्त किया गया। जब्त की गई वस्तुओं की क्वेरी की गई और उन्हें रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया और पटवारी द्वारा घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया।

3. सम्यक और आवश्यक विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने बदले में प्रकरण को विचारण हेतु उपार्पित किया। अभियोग–पत्र में निहित सामग्री के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

302 (दो बार) के अधीन कथित अपराध के लिए आरोप विरचित किए। अपीलार्थी द्वारा दोष स्वीकार न किए जाने के कारण उसका विचारण किया गया ।

4. अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपों को साबित करने हेतु अभियोजन ने कुल 14 साक्षियों का परीक्षण कराया। अपीलार्थी का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध विरचित अभियोगात्मक आरोपों को अस्वीकार किया तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए यह अभिवाक किया कि उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। तथापि, अपने बचाव में अपीलार्थी द्वारा एक साक्षी प्रस्तुत किया गया।

5. संबंधित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के पश्चात तथा अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना के उपरांत, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया। अत: यह अपील प्रस्तुत की गई है।

6. दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश की वैधता तथा औचित्यता को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश त्रुटिपूर्ण, अवैध तथा तथ्यों एवं विधि के विपरीत है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए सिद्धदोष कर गंभीर त्रुटि की है। विद्वान विचारण न्यायालय इस तथ्य की विवेचना करने में असफल रहा है कि अभियोजन हत्या के हेतुक को साबित करने में असफल रहा है, और अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सके। अपीलार्थी की दोषसिद्धि अटकलों और अनुमानों पर आधारित है, इसलिए यह अपास्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क किया गया कि जब ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध न हो जो प्रत्यक्ष रूप से अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने की ओर इंगित करता हो, और उपलब्ध साक्ष्य न तो संपोषक हों और न ही विश्वसनीय एवं भरोसेमंद हों, तो ऐसी परिस्थितियों में दोषसिद्धि अपास्त किए जाने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय इस तथ्य की विवेचना करने में असफल रहा है कि विश्वसनीय साक्ष्यों के अभाव में अभियुक्त की दोषसिद्धि को न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। विद्वान विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में गंभीर त्रुटि की है कि चूँकि अपीलार्थी और मृतकों के संबंध मधुर नहीं थे, इसलिए यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि उसने उनकी हत्या की है। अतः, आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है और अपीलार्थी उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त होने का पात्र है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **बालू सुदाम खाल्डे व एक अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य**[1] के प्रकरण में पारित निर्णय का अवलंब लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 (2023) 13 SCC 365

7. इसके विपरीत , राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध किया और यह तर्क किया कि अभियोजन ने अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सूक्ष्मतापूर्वक विवेचना की है और तदनुसार अपीलार्थी को कथित अपराध के लिए उचित रूप से दोषसिद्ध किया है, अतः दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं उनके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया तथा विद्वान विचारण न्यायालय के मूल अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानी एवं सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया है।

9. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उसने अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (दो बार) के अधीन अपराध कारित करने हेतु आरोप विरचित किए थे। विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की सूक्ष्मतापूर्वक विवेचना करने के उपरांत अपीलार्थी को धारा 302 (दो बार) के अधीन दोषसिद्ध एवं इस निर्णय के प्रथम कण्डिका में उल्लेखित अनुसार दंडित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि क्या मृतक भोला और फूलमतिया की मृत्यु प्रकृति में मानव वध थी या नहीं?

11. अ.सा.–1 रणजीत खैरवार ने कथन किया है कि वह अभियुक्त को जानता है, जो न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। वह भोला और फूलमतिया को भी जानता है, जिनका देहांत हो चुका है। घटना वर्ष 2015 की है और दोपहर करीब 3:00 बजे घटित हुई थी। घटना के दिन मृतक भोला के घर पर विवाह का सामाजिक भोज था। आगे उसने बताया कि अभियुक्त के भाई शिवभजन ने उसे बताया कि भोला और फूलमतिया की हत्या कर दी गई है। शिवभजन ने उसे यह नहीं बताया कि उक्त अपराध का अपराधी कौन है, बाद में उसे ज्ञात हुआ कि अभियुक्त ने भोला राम और फूलमतिया की तलवार से हत्या कर दी है। इस पर वह मृतक भोला के घर गया, जहाँ उसने देखा कि मृतिका फूलमतिया और मृतक भोला के सिर और गर्दन उनके शरीर से अलग पड़े हुए थे। इसके पश्चात, उसने उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना–चलगली में दर्ज कराई और उसने मर्ग सूचना (प्रदर्श पी./1) और प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी./2) के 'ए से ए' भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए।

12. अ.सा.–13 निरीक्षक एल.पी. पटेल ने कथन किया है कि वर्ष 2014 से 2015 के दौरान, वह थाना प्रभारी के रूप में पदस्थ थे और शिकायतकर्ता– रणजीत खैरवार (अ.सा.–1) पिता जाटू खैरवार द्वारा दी गई सूचना पर, मृतक भोला की मृत्यु के संबंध में मर्ग क्रमांक 13/2015 (प्रदर्श पी./1) और प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी./2) पंजीबद्ध की गई थी, जिसमें उन्होंने 'बी से बी' भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। उन्होंने मृतक फूलमतिया की मृत्यु के संबंध में भी मर्ग सूचना प्रदर्श पी./17 के माध्यम से मर्ग दर्ज किया था। उन्होंने प्रदर्श पी./6 और प्रदर्श पी./7 के माध्यम से मृत्यु समीक्षा के लिए साक्षियों

को नोटिस जारी किए और उसी दिन प्रदर्श पी./8 और प्रदर्श पी./9 के माध्यम से मृत्यु समीक्षा तैयार किया, जिसमें उन्होंने 'आर से आर' भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बलरामपुर को प्रदर्श पी./14 "ए" और प्रदर्श पी./15 "ए" के माध्यम से मृतक भोला और फूलमतिया के शव परीक्षण के लिए आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने 'ए से ए' भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए।

13. अ.सा.–12 डॉ. विजय अग्रवाल ने दिनाँक 28.04.2015 को मृतक भोलाराम के शव का शवपरीक्षण किया।

<u>बाह्य परीक्षण</u>

शव में मृत्यु के बाद की अकड़न उपस्थित पाई गई और पूरा शरीर विवर्ण रंग का था।

1. किसी धारदार और भारी हथियार द्वारा पूरी गर्दन शरीर से काटकर अलग कर दी गई थी।

2. ललाट पर गहरा कटा हुआ घाव, आकार 8 सेमी x 1 सेमी, जिसके अंदर की ललाट की हड्डी में 6 सेमी का अस्थि–भंग था।

3. साने के दाईं ओर एक कटा हुआ घाव था, जिसका आकार 5 सेमी x 1 सेमी x 1/2 सेमी था।

4. बाईं कलाई के पिछले हिस्से पर एक कटा हुआ घाव था, जिसके अंदर की अल्ना और रेडियस हड्डियाँ पूरी तरह से टूटी हुई थीं।

5. दाहिने हाथ के मध्य में एक कटा हुआ घाव, आकार 5 सेमी x 4 सेमी, जिसमें मांसपेशियां दिखाई दे रही थीं।

6. बाएं कंधे पर दो कटे हुए घाव, पहले का आकार 6 सेमी x 1/2 सेमी x 1/2 सेमी और दूसरे का आकार 2 सेमी x 1/2 सेमी x 1/2 सेमी था।

7. चेहरे के दाईं ओर कटा हुआ घाव, आकार 8 सेमी x 1/2 सेमी।

8. जबड़े के पास चेहरे के दाईं ओर कटा हुआ घाव, आकार 3 सेमी x 2 सेमी, जिसमें जबड़ा और दांत दिखाई दे रहे थे।

> उपरोक्त सभी चोटों के चारों ओर रक्त का थक्का जमा था। पूरा शरीर पीला पड़ गया था और मृत्यु से पहले शरीर पर कई कटे हुए घाव और घावों के चारों ओर रक्त के थक्के पाए गए थे।

<u>आंतरिक परीक्षण</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृतक का मस्तिष्क विवर्ण पाया गया तथा दोनों फेफड़े, यकृत , प्लीहा और वृक्क भी विवर्ण पाए गए। हृदय के दोनों कक्ष रिक्त थे। आमाशय और छोटी आंत में अर्ध–पचित भोजन तथा बड़ी आंत में मल पदार्थ पाया गया। मूत्राशय खाली था।

मृतक के शरीर पर एक पीले रंग का तौलिया (गमछा) था जिस पर रक्त के धब्बे थे। उसे सीलबंद किया गया और रासायनिक परीक्षण की सलाह के साथ संबंधित आरक्षक को सौंप दिया गया।

उनके अभिमत में, मृतक की मृत्यु का कारण उपरोक्त चोटों के परिणामस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव से उत्पन्न सदमा था, जिसके कारण कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट (हृदय–श्वसन गति अवरुद्ध) हुआ। आगे यह अभिमत दिया गया कि मृत्यु प्रकृति में मानववध है और मृत्यु, शवपरीक्षण करने के 24 घंटों के भीतर हुई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी./14 के माध्यम से दी।

14. उसी दिन, अ.सा.–12 डॉ. विजय अग्रवाल ने मृतिका फूलमतिया के शव का शवपरीक्षण किया।

<u>बाह्य परीक्षण</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शव में मृत्यु के बाद की अकड़न उपस्थित पाई गई और पूरा शरीर विवर्ण रंग का था। मृतक फूलमतिया के शरीर पर पाई गई चोटें निम्नलिखित हैं–

1. किसी धारदार और भारी हथियार द्वारा पूरी गर्दन शरीर से काटकर अलग कर दी गई थी।

2. बाईं बांह पर कोहनी के पास गहरा कटा हुआ घाव, जिसमें रेडियस और अल्ना हड्डियाँ पूरी तरह से टूट गई थीं।

3. बाईं बांह के एक–तिहाई भाग पर 10 सेमी x 5 सेमी आकार का एक कटा हुआ घाव था।

4. बाएं हाथ की कलाई के पास 6 सेमी x 2 सेमी आकार का एक कटा हुआ घाव था, जिसमें हड्डियाँ दिखाई दे रही थीं।

5. दाहिनी बांह की कोहनी में एक गहरा कटा हुआ घाव, जिसमें रेडियस और अल्ना हड्डियाँ पूरी तरह से टूट गई थीं।

6. दाहिने हाथ पर दो कटे हुए घाव, जिनमें से पहले का आकार 5 सेमी x 2 सेमी x 1/2 सेमी और दूसरे घाव का आकार 10 सेमी x 3 सेमी x 1/2 सेमी था।

7. दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में गहरा कटा हुआ घाव, जिसका सिरा कटकर लटका हुआ था।

8. चेहरे के बाईं ओर कटा हुआ घाव, आकार 10 सेमी x 2 सेमी। इसी चोट में जबड़ा और दांत दिखाई दे रहे थे।

<u>बाह्य परीक्षण</u>

मृतिका का मस्तिष्क विवर्ण पाया गया तथा दोनों फेफड़े, यकृत, प्लीहा और वृक्क भी विवर्ण पाए गए। हृदय के दोनों कक्ष रिक्त थे। आमाशय में अर्ध–पचित भोजन, छोटी आंत में अर्ध–पचित भोजन तथा बड़ी आंत में मल पदार्थ पाया गया। मूत्राशय खाली था।

मृतिका ने हरे रंग का ब्लाउज और साड़ी पहनी हुई थी जिस पर रक्त के धब्बे थे। इन्हें सीलबंद किया गया और रासायनिक परीक्षण हेतु संबंधित आरक्षक को सौंप दिया गया।

उनके अभिमत में, मृतिका की मृत्यु का कारण उपरोक्त चोटों के परिणामस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव से उत्पन्न सदमा था, जिसके कारण कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट (हृदय–श्वसन गति अवरुद्ध) हुआ। आगे यह अभिमत दिया गया कि मृत्यु प्रकृति में मानववध है और मृत्यु,शवपरीक्षण करने के 24 घंटों के भीतर हुई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी./15 के माध्यम से दी।

15. अ.सा.–12 डॉ. विजय अग्रवाल ने दिनांक 26.05.2015 को जब्त की गई लोहे की तलवार का भी परीक्षण किया, जिस पर अत्यधिक मात्रा में रक्त के थक्के जमे हुए थे। उनसे यह पूछा गया था कि क्या मृतक व्यक्तियों को आई चोटें उक्त तलवार से कारित की जा सकती थीं और क्या उक्त तलवार से कारित चोटें मृत्यु का कारण बन सकती थीं या नहीं। उक्त तलवार के परीक्षण के पश्चात, उन्होंने यह अभिमत दिया कि मृतक व्यक्तियों की चोटें उक्त तलवार से कारित की जा सकती थीं और तलवार द्वारा कारित चोटें मृत्यु का कारण बनने हेतु पर्याप्त थीं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी./16 के माध्यम से दी। उनके प्रतिपरीक्षण में उनके अभिसाक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सका। इस प्रकार, अभियोजन यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि मृतक भोला और मृतिका फूलमतिया की मृत्यु प्रकृति में मानववध है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अब हमें यह सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्यों का परीक्षण करना होगा कि क्या अपीलार्थी ही प्रश्नगत अपराध का कर्ता है या नहीं।

17. अ.सा.–1 रणजीत खैरवार, जो उक्त अपराध का सूचनाकर्ता है, ने कथन किया है कि घटना के दिन मृतक भोला के घर पर विवाह का सामाजिक भोज था। आगे उसने कथन किया कि अभियुक्त के भाई, जिसका नाम शिवभजन है, ने उसे बताया कि भोला और फूलमतिया की हत्या कर दी गई है, यद्यपि शिवभजन ने उसे यह नहीं बताया कि उक्त अपराध का अपराधी कौन था। बाद में उसे किसी अन्य व्यक्ति से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त ने भोला और फूलमतिया की तलवार से हत्या कर दी है। यद्यपि, अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया और उससे प्रतिपरीक्षण किया, और प्रतिपरीक्षण के दौरान उसने इस सुझाव को स्वीकार किया कि राजू पांडो ने उसे बताया था कि घटना के समय मृतक भोलाराम के घर पर जगधारी, राजू, मांगी बाई और अन्य लोग उपस्थित थे। उसने अभियोजन के उस सुझाव से इनकार किया और कथन किया कि घटना के दिन उसकी शिवभजन से कोई बातचीत नहीं हुई थी।

18. अ.सा.–2 राजुराम उक्त घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है, जिसने कथन किया है कि घटना के दिन मृतक भोला के घर पर रामप्रताप के विवाह का सामाजिक भोज था, जहाँ वह दोपहर करीब 12:00 बजे गया

था और जहाँ सुखमनिया, घांजी बाई, मनमति, जगधारी, फूलमतिया आदि भी उपस्थित थे। उसने आगे कथन किया कि दोपहर करीब 03:00 बजे फूलमतिया ने उसे बुलाया, तब वह घर के कमरे के अंदर गया और दुकान से सामान लाने की व्यवस्था कर रहा था, ठीक उसी क्षण, जहाँ वह बैठा था, उसने अंदर के कमरे से खटखटाने की आवाज सुनी जहाँ फूलमतिया उसे बचाने के लिए उसका नाम पुकार कर चिल्ला रही थी। इस पर, वह कमरे के अंदर भागा और देखा कि अभियुक्त तलवार से फूलमतिया पर हमला कर रहा था, तब उसने फूलमतिया को बचाने के लिए अभियुक्त का हाथ पकड़ा और उससे पूछा कि वह उस पर हमला क्यों कर रहा है और इस हस्तक्षेप पर, उसे अपीलार्थी द्वारा धक्का दिया गया और यहाँ तक कि अपीलार्थी ने उस पर भी तलवार से हमला किया। अपीलार्थी के इस कृत्य से भयभीत होकर, वह यह चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागा कि अभियुक्त तलवार से हमला कर रहा है। उसी समय, भोला कमरे के अंदर दाखिल हुआ, तब अभियुक्त ने उस पर भी तलवार से हमला किया और उसके प्राण नहीं छोड़े। उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसने देखा कि फूलमतिया के सिर और हाथ पर चोटें थीं। बाद में, उसने देखा कि इस संहार के कारण मृतक भोला और फूलमति के सिर उनकी गर्दन से अलग हो गए थे। अपने प्रतिपरीक्षण में, उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इनकार किया कि घटना के समय वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था, और वह अपने कथन पर अडिग रहा। उसने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया कि वह उक्त घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है और उसने बताया कि अभियुक्त ने ही मृतक व्यक्तियों पर हमला किया था। इसके अतिरिक्त, उसने इस सुझाव को स्वीकार किया कि भोला उसके फूफा थे और फूलमतिया उसकी बुआ थीं। उसके प्रतिपरीक्षण में उसके अभिसाक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सका।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. अ.सा.–3 जगधारी ने कथन किया है कि घटना के दिन, भोला ने रामप्रताप की विवाह भोज की व्यवस्था की थी और वह गांव की निवासी मनमति, फूलमति, मांगी बाई आदि के साथ भोजन पका रहा था। जब हम भोजन पका रहे थे, भोला और फूलमतिया अपने कमरे में थे, अभियुक्त भी घर में उपस्थित था। जब दोपहर लगभग 3:00 बजे फूलमतिया मदद के लिए चिल्लाई, तो राजू पांडो घर के अंदर गया और उसके पीछे कुछ अन्य लोग भी कमरे में दाखिल हुए और देखा कि फूलमतिया की दोनों बाहों और सिर पर तलवार की चोटें थीं। राजू ने बताया था कि अभियुक्त ने फूलमतिया पर तलवार से हमला किया है। उसने नोटिस (प्रदर्श पी./6 और पी./7) और मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श पी./8 और पी./9) के 'ए से ए' भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। यद्यपि, अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित किया और उससे प्रतिपरीक्षण किया, तब उसने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया कि जब राजू पांडो कमरे से भागते हुए बाहर आया, तो उसने बताया था कि अभियुक्त फूलमतिया पर तलवार से अंधाधुंध हमला कर रहा था और जब उसने उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप करने का प्रयत्न, तो अभियुक्त ने उस पर भी हमला करने का प्रयत्न किया। आगे उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि राजू ने बताया था कि अभियुक्त ने फूलमतिया की गर्दन पर तलवार से वार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी समय, जब भोला उसे बचाने गया, तो अभियुक्त ने उसकी गर्दन पर भी तलवार से हमला किया और उसका सिर

भी धड़ से अलग कर दिया। उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि राजू उसका अपना भतीजा है और मनमति उसकी भाभी है और यह भी स्वीकार किया कि भोला खैरवार जाति का था और वह स्वयं पांडो जाति का है। आगे उसने इस सुझाव को स्वीकार किया कि यदि खैरवार जाति में कोई कार्यक्रम होता है, तो उसी जाति के लोग भोजन पकाते हैं। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि वे भोला की भूमि पर कृषि कार्य करते हैं और स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसका भतीजा रामप्रताप कृषि करता है।

20. अ.सा.–4 मनमति, अ.सा.–5 सुखमनिया, अ.सा.–6 गंजी बाई, अ.सा.–7 गुलपतिया और अ.सा.–8 रामसुबरन ने कथन किया है कि घटना के दिन, भोला और रामप्रताप ने विवाह के भोज की व्यवस्था की थी और उन्हें भोजन पकाने और खाने के लिए आमंत्रित किया गया था। रामधारी, फूलमतिया, गंजी बाई आदि भोजन पका रहे थे। जब हम भोजन पका रहे थे, भोला और फूलमतिया अपने कमरे में थे और अभियुक्त भी उस समय घर पर था। जब फूलमतिया सहायता के लिए चिल्लाई, तो राजू मांडो घर के अंदर गया और चिल्लाया कि अभियुक्त फूलमतिया और भोला पर हमला कर रहा है। उसके बाद, जब वे कमरे में दाखिल हुए, तो उन्होंने देखा कि फूलमतिया और भोला की गर्दन पर चोटें थीं। राजू ने बताया था कि अभियुक्त ने फूलमतिया और भोला पर तलवार से हमला किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. रामप्रताप सिंह (अ.सा.–9) ने कथन किया है कि अभियुक्त उसका बड़ा भाई है और वह भोला तथा फूलमतिया से भी परिचित है, जो उसके फूफा और बुआ थे और जिनकी मृत्यु एक वर्ष पूर्व हुई थी। भोला और फूलमतिया ने उसे गोद लिया था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, वह उन्हीं के घर में उनके साथ रहता था। उसका विवाह उसकी बुआ और फूफा द्वारा संपन्न कराया गया था। घटना के दिन, उसके विवाह के उपलक्ष्य में घर पर सामाजिक भोज था और वह अपने ससुराल में था। राजू ने फोन किया और उसे बताया कि अभियुक्त ने उसकी बुआ और फूफा की तलवार से हत्या कर दी है, जिसके बाद वह अगले दिन गाँव आया। उसने घटना–स्थल का नजरी नक्शा (प्रदर्श पी./4) के 'बी से बी' भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। अपनी प्रतिपरीक्षण में, उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसके विवाह की सभी व्यवस्थाएं अभियुक्त और उसकी पत्नी द्वारा की गई थीं और यह भी स्वीकार किया कि उसके विवाह समारोह में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई थी। यद्यपि, उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इनकार किया कि राजू ने उसे फोन पर घटना की सूचना नहीं दी थी।

22. अ.सा.–10 साली पूरते और अ.सा.–11 भुवनेश्वर सिंह, अपीलार्थी के मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी/11) और जब्ती (प्रदर्श पी/12) के साक्षी हैं, परंतु उन्होंने प्रदर्श पी/11 और पी/12 में केवल अपने हस्ताक्षरों को ही स्वीकार किया है। उन्होंने इस तथ्य से अस्वीकार किया है कि पुलिस द्वारा उनके समक्ष अपीलार्थी का कोई मेमोरेंडम कथन लिया गया था और उनके समक्ष लोहे की तलवार की जब्ती को भी अस्वीकार किया है। यद्यपि, अभियोजन ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया और उनसे प्रतिपरीक्षण किया, तब उन्होंने अभियोजन के सभी सुझावों को अस्वीकार किया।

23. अ.सा.–13 निरीक्षक– एल.पी. पटेल, जो कि विवेचना अधिकारी हैं, ने कथन किया है कि उन्होंने प्रदर्श पी/11 के माध्यम से अभियुक्त का मेमोरेंडम कथन दर्ज किया था, जिसमें उसने अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए थे और मेमोरेंडम के अनुसार, उन्होंने नाली से एक लोहे की तलवार और पहने हुए कपड़े बरामद किए थे तथा जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी/12) तैयार किया था।

24. न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्रदर्श पी/21) के अनुसार, लोहे की तलवार (वस्तु–डी1) और अभियुक्त की टी–शर्ट में रक्त पाया गया था।

25. ब.सा.–1 श्रीमती मनकुँवर, जो अभियुक्त की पत्नी हैं, ने कथन किया है कि वह मृतक भोला और फूलमतिया को जानती हैं तथा उनके देवर रामप्रताप का विवाह लगभग 3 वर्ष पूर्व फूलमतिया के घर में हुआ था। रामप्रताप के विवाह के दौरान, सभी कार्यों की व्यवस्था उनके और उनके पति हरदयाल/अभियुक्त द्वारा की गई थी। विवाह के उपरांत, ग्रामीणों के लिए सामाजिक भोज का आयोजन किया गया था, उस समय वह पूजा कक्ष में प्रार्थना करने गईं और देखा कि भोला और फूलमतिया मृत अवस्था में पड़े थे। तब उन्होंने शोर मचाया कि यह कैसे हुआ? अपने प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि लोग कहते हैं कि उनके पति हरदयाल ने उन दोनों की हत्या की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. अभिलेख के सरल परिशीलन से और सभी साक्षियों, विशेष रूप से चक्षुदर्शी साक्षी अ.सा.–2 राजूराम के कथनों के सूक्ष्म परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि उसने देखा कि अभियुक्त, फूलमतिया पर तलवार से हमला कर रहा था; उसने उसे बचाने के लिए अभियुक्त का हाथ पकड़ा और पूछा कि तुम हमला क्यों कर रहे हो, यहाँ तक कि अभियुक्त ने उसे धक्का दिया और उस पर भी तलवार से हमला किया; अपीलार्थी के इस कृत्य से भयभीत होकर वह यह चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागा कि अभियुक्त तलवार से हमला कर रहा है। उसी क्षण, भोला राम कमरे के भीतर प्रवेश किया, तब अभियुक्त ने उस पर भी तलवार से प्रहार किया। अन्य साक्षियों अ.सा.–3 जगधारी, अ.सा.–4 मनमती, अ.सा.–5 सुखमनिया, अ.सा.–6 गंजी बाई, अ.सा.–7 गुलपतिया, अ.सा.–8 रामसुबरन ने अ.सा.–2 राजूराम के कथन का समर्थन किया है और उन सभी ने यह बताया है कि वे घटना के समय मृतक भोला के घर में विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए उपस्थित हुए थे और जब राजू चिल्लाया कि अभियुक्त, फूलमतिया और भोला पर हमला कर रहा है, उसके बाद उन्होंने इसकी पुष्टि करने के लिए कमरे में प्रवेश किया और देखा कि फूलमतिया और भोला की गर्दन पर चोटें थीं और वे मृत पड़े थे।

27. मृतक भोला की मृत्यु के संबंध में मर्ग सूचना (प्रदर्श पी/1) और मृतिका फूलमतिया की मृत्यु के संबंध में मर्ग सूचना (प्रदर्श पी/17) के अनुसार, इन्हें अ.सा.–1 रंजीत खैरवार द्वारा उसी दिन अर्थात् दिनांक 27.04.2015 को क्रमशः दोपहर लगभग 4:10 बजे और 4:20 बजे दर्ज कराया गया था।

28. यह भी पूर्णतः स्पष्ट है कि मेमोरेंडम और जब्ती के साक्षियों ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और अभियुक्त के मेमोरेंडम (प्रदर्श पी/11) के आधार पर लोहे की तलवार की जब्ती का भी समर्थन नहीं किया है, परंतु चक्षुदर्शी साक्षी अ.सा.–2 राजूराम ने स्पष्ट रूप से अभियुक्त के विरुद्ध

कथन किया है और अन्य साक्षियों ने उस कमरे में उसकी उपस्थिति का समर्थन किया है जहाँ अभियुक्त ने मृतक भोला और मृतिका फूलमतिया दोनों पर लोहे की तलवार से हमला किया था, तथा अ.सा.–2 अपने प्रतिपरीक्षण में अडिग रहा है।

29. अ.सा.–12 डॉ. विजय अग्रवाल ने अपने शवपरीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/14 और पी/15) का समर्थन किया है और मृतक व्यक्तियों भोला और फूलमतिया की मृत्यु का कारण प्रकृति में मानव वध का होना साबित किया है।

30. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रबल रूप से यह आपत्ति जताई है कि अभियोजन इस जघन्य कृत्य को करने के लिए अभियुक्त के किसी भी हेतुक को स्थापित करने में असमर्थ रहा है, जो कि वास्तव में सत्य है; परंतु चूंकि यह चक्षुदर्शी साक्षी का प्रकरण है, जहाँ चक्षुदर्शी साक्षी की विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है, अतः वहाँ हेतुक स्वयं में बहुत कम सुसंगता रखता है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण न्यायदृष्टांतों का उल्लेख करना आवश्यक होगा, जो कि निम्नानुसार हैं:–

चंदन विरुद्ध राज्य (दिल्ली प्रशासन)[2] के प्रकरण के कण्डिकाएँ 10 व 11 जो निम्नानुसार हैः–

> "10. **शिवाजी गेनु मोहिते विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य,एआईआर 1973 एससी 55** में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दाण्डिक न्यायशास्त्र में यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि जब चक्षुदर्शी परिसाक्ष्य न्यायालय का विश्वास प्रेरित करता है, तो अभियोजन के लिए हेतुक स्थापित करना आवश्यक नहीं होता है। केवल हेतुक का अभाव मात्र, एक विश्वसनीय चक्षुदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के प्रकरण में हेतु विचार के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। परंतु जब प्रत्यक्ष चक्षुदर्शी साक्षी उपलब्ध हो, तो हेतुक महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था:
>
> > "यदि अभियोजन किसी प्रबल हेतुक की तलाश करने में असमर्थ रहता है, तो इसका प्रभाव उस साक्षी की विश्वसनीयता पर नहीं पड़ सकता जो एक विश्वसनीय चक्षुदर्शी साक्षी साबित हुआ हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर प्रकरणों में हेतुक से संबंधित साक्ष्य बहुत सहायक होते हैं। ऐसे प्रकरण में ऐसा साक्ष्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला की श्रृंखलाओं में से एक होगा। किंतु उन प्रकरणों में ऐसा नहीं होगा जहाँ विश्वसनीय चक्षुदर्शी साक्षी हों, यद्यपि ऐसे प्रकरणों में भी यदि हेतुक उचित रूप से साबित हो जाता है, तो ऐसा प्रमाण अभियोजन के प्रकरण को बल प्रदान करेगा और न्यायालय को उसके अंतिम निष्कर्ष में सुदृढ़ करेगा। परंतु इसका अभिप्रेत यह नहीं है कि यदि हेतुक स्थापित नहीं होता है, तो चक्षुदर्शी साक्षी का साक्ष्य अविश्वसनीय हो जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2 2024 SCC OnLine SC 496

11. इस सिद्धांत को कि जब प्रत्यक्ष साक्ष्य अपराध को स्थापित कर देता है, तब हेतुक की कमी या अनुपस्थिति महत्वहीन होती है, इस न्यायालय द्वारा **बिकाऊ पाण्डेय विरुद्ध बिहार राज्य, (2003) 12 एससीसी 616; राजगोपाल विरुद्ध मुथुपंडी, (2017) 11 एससीसी 120; योगेश सिंह विरुद्ध महाबीर सिंह, (2017) 11 एससीसी 195** में पुनरावृत्ति की गई है।"

31. उपरोक्त उद्धृत निर्णयों के आलोक में तथा प्रकरण के तथ्यों तथा परिस्थितियों को विचार में रखते हुए, इस न्यायालय का यह अभिमत है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि का निष्कर्ष, अभिलेख पर प्रस्तुत समग्र साक्ष्यों के उचित विवेचना पर आधारित है और यह उचित पाया जाता है कि अभियुक्त ने मृतक भोला एवं मृतिका फूलमतिया की हत्या कारित की है। इस प्रकार, अभियोजन ने अपीलार्थी के विरुद्ध अपने प्रकरण को समस्त युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित किया है।

32. फलस्वरुप, अपील सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है एवं तदनुसार, **खारिज** की जाती है। अपीलार्थी के जेल में होने की सूचना है, अतः उसकी गिरफ्तारी, अभ्यर्पण आदि के संबंध में कोई विशिष्ट आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

33. इस रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय की एक प्रतिलिपि संबंधित विचारण न्यायालय और जेल अधीक्षक को प्रेषित करें, जहाँ अपीलार्थी कारावास का दण्ड भुगत रहा है। ताकि उसे अपीलार्थी पर तामील कराया जा सके और उसे सूचित किया जा सके कि वह उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय को चुनौती देने हेतु स्वतंत्र है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

सही/–
(अमितेन्द्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**